भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railway
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

OFFICE ORDER NO. 06 OF 2021

Subject:- Preparation of Board Memorandum for Board Meeting and issues requiring decision therein

Ref:-
i) O.O No. 06 of 2019 dated 24.01.2019
ii) O.O No. 29 of 2018 dated 06.03.2018
iii) O.O No. 17 of 2005 dated 30.03.2005
iv) O.O No. 14 of 2004 dated 08.04.2004
v) O.O No. 30 of 2003 dated 07.07.2003

Instructions have been issued from time to time regarding procedure to be followed for preparation of Board Memorandum for issues to be discussed in Board Meeting.

2. However, of late it has been observed that the instructions with regard to procedure to be followed for preparation of the Memorandum are not being strictly followed. Often unsigned copies in deviation of the extant instructions as referred to above are being submitted.

2.1 It is therefore, reiterated that extant instructions as indicated in Office Orders referred to above be scrupulously followed while preparing and submitting the approved Memorandum to Secretary's Office for discussion in Board Meeting. The officer signing the first page of the memorandum should ensure that all entries are properly filled and other guidelines are also complied with. Copies of all relevant office orders referred to above are also attached for ready reference.

2.2 The approved, signed copy of Board Memorandum be submitted to Secretary's office in PDF format through email at "**secyrb@rb.railnet.gov.in**".

3. Strict Compliance of the above is solicited by all concerned.

Encl:- As above

(B Majumdar)
Joint Secretary/Railway Board

No. 2021/O&M/2/3
Dated:- 03.02.2021

All Officers/Branches in Board's Office and at Dayabasti,New Delhi

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2021 का कार्यालय आदेश सं. 06

विषय:- बोर्ड की बैठक और उसमें निर्णयाधीन मामलों के लिए बोर्ड ज्ञापन तैयार करना।

संदर्भ:- i) 2019 का कार्यालय आदेश सं. 06 दिनांक 24.01.2019
ii) 2018 का कार्यालय आदेश सं. 29 दिनांक 06.03.2018
iii) 2005 का कार्यालय आदेश सं. 17 दिनांक 30.03.2005
iv) 2004 का कार्यालय आदेश सं. 14 दिनांक 08.04.2004
v) 2003 का कार्यालय आदेश सं. 30 दिनांक 07.07.2003

बोर्ड की बैठकों में विचार-विमर्श किए जाने वाले मामलों के लिए बोर्ड ज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

2. बहरहाल, हाल ही में यह देखा गया है कि ज्ञापन तैयार करने के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। प्रायः उक्त संदर्भित मौजूदा अनुदेशों से इतर अहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं।

2.1 अतः यह दोहराया जाता है कि बोर्ड की बैठक में चर्चा करने के लिए अनुमोदित ज्ञापन को तैयार करने और सचिव के कार्यालय में प्रस्तुत करते समय उक्त संदर्भित कार्यालय आदेशों में विनिर्दिष्ट मौजूदा अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। ज्ञापन के पहले पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ उचित ढंग से भरी गई हैं और अन्य दिशा-निर्देशों का भी पालन किया गया है। उक्त संदर्भित सभी संगत कार्यालय आदेशों की प्रतिलिपियाँ तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

2.2 बोर्ड ज्ञापन की अनुमोदित और हस्ताक्षरित प्रतिलिपि को सचिव के कार्यालय में पीडीएफ फॉर्मेट में secyrb@rb.railnet.gov.in पर ईमेल से भेजा जाए।

3. सभी संबंधित कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त

बी. मजुमदार

सं.2021/ओ एंड एम/2/3
दिनांक: 03.02.2021

(बी. मजुमदार)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।